न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 32 / 2023 तारीख रजू:–25.10.2023

जी.सी.एम.एस. नंबर:–2023 / 80

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामनारायण पुत्र पून्या रैगर, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

1. अनिता पत्नि स्व0 चन्द्रप्रकाश
2. आयुषी पुत्री चन्द्रप्रकाश
3. आशा पुत्री अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
4. उदित पुत्र अशोक
5. कुणाल पुत्र अशोक
6. कमल पुत्र अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
7. जाग्रवी पुत्री अशोक नाबालिग जरिये संरक्षक माता ललिता
8. दिनेश पुत्र राजेन्द्र
9. निर्मल पुत्र अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
10. प्रभा पुत्री राजेन्द्र
11. प्रियूल पुत्र मोहन
12. प्रियांश पुत्र मोहन
13. प्रिंसी पुत्री मोहन नाबालिग जरिये संरक्षक माता ममता
14. मनीष पुत्र राजेन्द्र
15. ममता पत्नि मोहन
16. महेन्द्र पुत्र अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
17. रूचिका पुत्री चन्द्रप्रकाश
18. रोनक पुत्र चन्द्रप्रकाश
19. ललिता पत्नि स्व0 अशोक
20. सीता पत्नि स्व0 राजेन्द्र
    समस्त जाति महाजन, निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
21. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

वकील वादी :– श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20:– श्री हरिसिंह [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 25.02.2026

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 ग्राम शिवाड़, तहसीलचौथ का बरवाड़ा के रहने वाले हैं तथा वादी अनुसूचित जाति (रैगर) का व्यक्ति है।

❖ वादी एंव वादी के पिता पून्या पुत्र भूरा जाति रैगर ने अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द पुत्र श्री किस्तूरचन्द जाति अग्रवाल जैन निवासी शिवाड की कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नं. 1896 रकबा 07 बिस्वा बारानी खसरा नं. 1934 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 2 कुल करबा 13 बिस्वा वाके ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा हिस्सा बराबर दिनांक 04.03.1982 को मुबलिग 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये में खरीद किया जिसका एक विक्रय पत्र उसी दिन तहरीर व तकमील करवाकर दिनांक 16.03.1982 को उप पंजीयक कार्यालय सवाई माधोपुर में तस्दीक हुआ और मुताबिक विक्रय पत्र वादी व उसके पिता पून्या को विक्रेता अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द जाति अग्रवाल जैन ने कब्जा वास्तविक मौके पर सुपुर्द किया तभी से वादी व उसके पिता पून्या अपनी खरीदशुदा उक्त आराजीयात पर काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। वादी के पिता पून्या पुत्र भूरा रैगर का दिनांक 23.11.2014 को देहान्त हो चुका है और वादी ही अपने मृतक पिता पून्या का एकमात्र उत्तराधिकारी एवं जायज वारिस है और वादी के अलावा मृतक पून्या के और कोई वारिस नहीं है।

❖ वादी एवं उसके मृतक पिता पून्या अशिक्षित होने के कारण यह समझ गये कि जमीन खरीद कर ली है तथा मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया है इसलिए उनके नाम खातेदारी हो गई लेकिन उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी व उसके पिता के नाम न तो नामान्तरकरण खुला और न ही खातेदारी हुई।

❖ अभी हाल सेटलमेंट के दौरान वादी [illegible] पिता पून्या के द्वारा खरीद की गई साबिक आराजी के निम्न[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

साबिक खसरा नंबर	रकबा	[illegible] खसरा नंबर	रकबा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

1896	7 बिस्वा	2631	0.09 है0
1934	6 बिस्वा	2679	0.08 है0

- वादी दिनांक 03.10.2023 को अपनी खरीदशुदा कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नं. 2631 व 2679 के सम्बन्ध में केसीसी बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास फाइल तैयार करवाने गया तब पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 20 के नाम है इसलिए वादी ने पटवारी हल्का से कहा कि उक्त भूमि वादी एवं उसके पिता पून्या ने प्रतिवादी नं 1 लगायत 20 के पूर्वज अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर ली है तो उनका क्योंकर खातेदारी भूमि में नाम हो सकता है इस पर पटवारी हल्का ने कहा कि इस सम्बन्ध में आप सक्षम न्यायालय में वाद दायर करो इसलिए बादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो माननीय न्यायालय से घोषणा करवाये कि वो आराजीयात नवीन खसरा नं. 2631 व 2679 की अपने नाम खातेदारी करवाकर राजस्व रिर्काड में अपना नाम अंकन करवाये तथा प्रतिवादी नं. 1 लगायत 20 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि वो अपने नाम खातेदारी होने का नाजायज लाभ उठाकर किसी अन्य को रहन बेचान या मुन्तकिल नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न करे बस यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

न्यायालय ... अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- बिनाय दावा दिनांक 03.10.2023 को अन्दर हुदूद अदालते वाला पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।
- प्रतिवादी नं. 21 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाये गये है।
- बलिहाजे सकूनत फरीकेन व स्थित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण दावे की सुनवाई के श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।.
- वादी प्रार्थी है कि दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि :–
  - घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादी एवं उसके पिता पून्या के द्वारा अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द से दिनांक 04.03.1982 को खरीद कर दिनांक 16.03.1982 को रजिस्टर्ड करवाये गये विक्रय पत्र बाबत साबिक खसरा नं. 1896 रकबा 07 बिस्वा व खसरा नं. 1934 रकबा 06 बिस्वा के बने नवीन खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड [illegible] तहसील चौथ का बरवाडा का वादी खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व [illegible] रिकार्ड ऑफ राईट्स में अपने नाम अंकन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- आराजीयात नवीन खसरा नं. 2631 व 2976 वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 20 को हजफ फरमाया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन फरमाया जावे।

- प्रतिवादी नं. 1 लगायत 20 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की खरीदशुदा भूमि नवीन खसरा नं. 2631 व 2679 वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी की अपने नाम खातेदारी भूमि होने का नाजायज लाभ उठाकर किसी अन्य को रहन, बेचान या मुन्तकिल करे और ना ही वादी के उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 ने जवाब पेश किया है कि–

- ⇨ हम प्रतिवादीगण अमोलक चन्द्र उर्फ अमीरचन्द पुत्र किस्तूरचन्द महाजन निवासी शिवाड़ के जायज वारिसान हैं।

- ⇨ हम प्रतिवादीगण के पूर्वज अमोलक चन्द उर्फ अमीरचन्द पुत्र किस्तूरचन्द महाजन निवासी शिवाड ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नं. 1896 रकबा 07 बिस्वा खसरा नं. 1934 रकबा 06 बिस्वा जिसके बने नवीन खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी का दिनांक 04.03.1982 को वादी एवं उसके पिता को विक्रय कर दिंनाक 16.03.1982 को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाया है तभी से वादी उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है हम प्रतिवादीगण का उक्त विक्रयशुदा भूमि से कोई ताल्लूक या वास्ता नहीं है।

- ⇨ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1982 के आधार पर विक्रय की गई भूमि के बने नवीन खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० कुल किता दो कुल रकबा 0.17 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी से हम प्रतिवादीगण का कोई ताल्लूक या वास्ता नहीं है और इन दोनों खसरा नम्बरों की खातेदारी वादी के नाम अंकित कर दिये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

- ⇨ अतः जवाब दावा श्रीमान की सेवा में पेश है ... दोनों खसरा नम्बरों की खातेदारी वादी के नाम अंकित कर दिए जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक मू0अ0/2024/80 दिनांक 16.01.2024 द्वारा रिपार्ट इस न्यायालय में पेश की है कि–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ वादी एवं प्रतिवादी ग्राम शिवाड के निवासी है एवं वादी अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति है।

➢ साबिक आराजी खसरा नम्बर 1891 रकबा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1934 रकबा 6 बिस्वा कुल 13 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.03.1982 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 79 कम संख्या 240 पृष्ठ संख्या 91–92 पर पंजीबद्ध को पून्या पुत्र भूरा, रामनारायण पुत्र पून्या जाति रेगर निवासी शिवाड ने अमोलकचन्द पुत्र किस्तूरचंद जाति अग्रवाल जैन निवासी शिवाड से कय की थी एवं केता पून्या मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व जांच के फोत हो चुका है जिसका एक मात्र वारिसान रामनारायण पुत्र पून्या जाति रेगर है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

➢ मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक आराजी 1896 रकबा 7 बिस्वा का 2631 रकबा 0.09 है० व साबिक आराज़ी 1934 रकबा 6 बिस्वां का नया खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.08 है। बने है।

➢ खसरा नम्बर 2631 में वर्तमान गेहूं की फसल खडी है व खसरा नम्बर 2679 में 30 52 वर्गफुट का पक्का निर्माण व शेष भूमि पर गेहूं की फसल खडी है जो वादी रामनारायण पुत्र पून्या ने बो रखी है एवं वादी का ही पक्का निर्माण है।

➢ मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वाद में दर्ज नवीन खसरा नम्बर 2631 रकबा 0. 09 है० व खसर नम्बर 2679 रकबा 0.08 है० वर्तमान में कमल निर्मल महेन्द्र पि.. अमोलकचन्द उर्फ अमीचंद हि.3/8, आशा पुत्री अमोलकचंद उर्फ अमीरचंद हि. 1/8. अनिता पत्नि स्व. चन्द्रप्रकाश, आयुषी रूचिका पुत्रियां चन्द्रप्रकांश, रौनक पुत्र चन्द्रप्रकाश हि01/8. उदित कुणाल पि० अशोक, ललिता पत्नि स्व० अशोक, जाग्रवी पुत्री अशोक नाबा. संरक्षक माता ललिता हि.1/8. दिनेश मनीष पि० राजेन्द्र, प्रभा पुत्री राजेन्द्र, सीता पत्नि स्व. राजेन्द्र हि. 1/8. प्रियूल प्रियांश पि. मोहन, ममता पत्नि स्व. मोहन, प्रिंस पुत्र मोहन नाबा० सरक्षक माता ममता जाति महाजन के नाम खातेदारी दर्ज है एवं विक्रेता अमोलकचंद फोत हो चुका है।

5. वादी वकील ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

✓ <u>पी0डब्ल्यू0–01</u>:– रामनारायण पुत्र पून्या रेगर, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

✓ <u>पी0डब्ल्यू0–02</u>:– लल्लूलाल पुत्र प्रहलाद [illegible] निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

✓ <u>प्रदर्श–01</u>:– जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 8 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

✓ <u>प्रदर्श–02</u>:– विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1982

✓ <u>प्रदर्श–03</u>:– मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

✓ <u>प्रदर्श–04</u>:– जमाबंदी संवत् 2037–2040 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

6. वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 का जवाब वादी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

7. बहस बकुलाय सुनी गई। मैंने वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मैंने वकील उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

8. ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 07.04.2022 **(प्रदर्श–1)** के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 विवादित आराजीयात खसरा नंबर 2631 रकबा 0.09 है0 एवं खसरा नंबर 2679 रकबा 0.08 कुल किता 02 कुल रकबा 0.17 है0 के खातेदार हैं। विक्रय पत्र 16.03.1982 **(प्रदर्श–02)** से अमोलकचन्द जैन पुत्र किस्तूरचंद जैन द्वारा खसरा नंबर 1896 रकबा 07 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1934 रकबा 06 बिस्वा पून्या पुत्र भूरया एवं रामनारायण पुत्र पून्या रैगर को बेचे जाने की पुष्टि होती है। मिलान क्षेत्रफल **(प्रदर्श–03)** से साबिक खसरा नंबर 1896 से खसरा नंबर 2631 रकबा 0.09 है0 एवं 1934 से खसरा नंबर 2679 रकबा 0.08 है0 के बनने की पुष्टि होती है। वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादी अपने पिता पून्या पुत्र भूरया रेगर का एकमात्र वारिस है, जिसकी ताईद न्यायालय में उपस्थित गवाह लल्लूलाल पुत्र प्रहलाद मीना, निवासी मुरलीमनोहरपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर **(पी0डब्ल्यू0–02)** ने भी की है। साथ ही वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 ने अपने जवाब में कथन किया है कि हम प्रतिवादीगण के पूर्वज अमोलक चन्द उर्फ अमीरचन्द पुत्र किस्तूरचन्द महाजन निवासी शिवाड ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नं. 1896 रकबा 07 बिस्वा खसरा नं. 1934 रकबा 06 बिस्वा जिसके बने नवीन खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी का दिनांक 04.03.1982 को वादी एवं उसके पिता को विक्रय कर दिंनाक 16.03.1982 को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाया है तभी से वादी उक्त भू[illegible] है हम प्रतिवादीगण का उक्त विक्रयशुदा भूमि से कोई ताल्लूक या [illegible] नहीं है [illegible] विक्रय पत्र दिनांक 16.03.1982 के आधार पर विक्रय की गई भूमि के [illegible] नवीन खसरा [illegible]631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० कुल किता दो कुल रकबा 0.17 है० [illegible] ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

से हम प्रतिवादीगण का कोई ताल्लूक या वास्ता नहीं है और इन दोनों खसरा नम्बरों की खातेदारी वादी के नाम अंकित कर दिये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

9. मेंरी विनम्र राय में उपरोक्त विवेचन से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजीयात खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाड़ा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 का नाम हजफ किया जाता है एवं वादी को खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, को आदेशित किया जाता है कि वे वादी के नाम तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाड़ा में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. रामनारायण पुत्र पून्या रैगर, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. अनिता पत्नि स्व0 चन्द्रप्रकाश
2. आयुषी पुत्री चन्द्रप्रकाश
3. आशा पुत्री अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
4. उदित पुत्र अशोक
5. कुणाल पुत्र अशोक
6. कमल पुत्र अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
7. जाग्रवी पुत्री अशोक नाबालिग जरिये संरक्षक माता ललिता
8. दिनेश पुत्र राजेन्द्र
9. निर्मल पुत्र अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
10. प्रभा पुत्री राजेन्द्र
11. प्रियूल पुत्र मोहन
12. प्रियांश पुत्र मोहन
13. प्रिंसी पुत्री मोहन नाबालिग जरिये संरक्षक माता ममता
14. मनीष पुत्र राजेन्द्र
15. ममता पत्नि मोहन
16. महेन्द्र पुत्र अमोलकचन्द उर्फ अमीरचन्द
17. रूचिका पुत्री चन्द्रप्रकाश
18. रोनक पुत्र चन्द्रप्रकाश
19. ललिता पत्नि स्व0 अशोक
20. सीता पत्नि स्व0 राजेन्द्र

    समस्त जाति महाजन, निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
21. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

नम्बर मुकदमा 32 सन् 2023

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादी की ओर से **श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट,** एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 20 की ओर से **श्री हरिसिंह पंवार, एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 25.02.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस)** के **समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजीयात खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाड़ा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 का नाम हजफ किया जाता है एवं वादी को खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ क[illegible] का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, को आदेशित किया जाता है कि [illegible] अंकन करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 20 को जरिये स्थायी निषेध[illegible] कि वे खसरा नं. 2631 रकबा 0.09 है० खसरा नं. 2679 रकबा 0.08 है० वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शि[illegible] बी तहसील चौथ का बरवाड़ा में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड़	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:23:50 IST
Reason: SelfAttested